न्यायालय :— उपखण्ड अधिकारी माण्डल, जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :— देबी सिंह रावत, आर. ए. एस.

प्रकरण संख्या :— 19 सन् 2006 रेवेन्यू वाद

अनवान

जय किशन आत्मज रामा जाट, निवासी भावलास, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा मृतक के बजाय :—

1. छीतर आत्मज जय किशन जाट, निवासी भावलास, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा
2. रंगलाल आत्मज जय किशन जाट, निवासी भावलास, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा
3. शंकरलाल आत्मज जय किशन जाट, निवासी भावलास, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा
4. सोहनी देवी पत्नि जय किशन जाट, निवासी भावलास, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा

.... वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, तहसील कार्यालय परिसर माण्डल, जिला भीलवाडा

.... प्रतिवादी

निर्णय

दिंनाक :—18.02.2016

वादी जय किशन आत्मज रामा जाट निवासी भावलास की ओर से एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी को ग्राम भावलास मजरा बागोर, तहसील माण्डल मे ग्राम पंचायत जोरावरपुरा द्वारा दिनांक 01.12.1966 को हाल आराजी संख्या 914 रकबा 00.08 बिस्वा जिसके साबिक आराजी संख्या 413 मी. थे जिसे सन् 1966 मे किस्म आबादी दर्ज किया गया था एवं पत्रावली संख्या 6 सवंत् 2024 कायम कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बिल एवज रुपए 41 पर वादी को पट्टें पर दी गई तथा वादी के नाम पट्टा जारी किया गया। दौराने भू – प्रबन्ध हाल आ. सं. 914 रकबा 0.08 बिस्वा की किस्म नाडा अंकन करते हुए बिलानाम राजस्व रेकार्ड अंकित कर दिया गया तथा उक्त भूमि से वादी को बेदखल करने हेतु प्रतिवादी ने भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर वादी को उसके पट्टे सुदा भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। वादी ने दिंनाक 22.12.2005 को श्रीमान जिलाधीश महोदय, भीलवाडा को अपने अधिवक्ता के जरिये एक सूचना पत्र अन्तर्गत धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत प्रेषित करा भू प्रबन्ध के दौरान हाल आराजी सं. 914 रकबा 00.08 बिस्वा की किस्म आबादी से नाडा अंकित कर दी गई उसे निरस्त करा पुनः आबादी मे अंकन करने हेतु प्रार्थना की गई किन्तु राजस्व रेकार्ड मे कोई परिवर्तन नही किया गया जिससे वादी द्वारा यह वादपत्र इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.02.2006 को पेष किया गया। वादी ने अपने वाद पत्र मे आगे यह भी अंकित किया कि वादी अपनीं पट्टे सुदा भुमि पर सन् 1966 से लगातार कब्जे मे होकर बाडा बना उसमे अपने मवेशी बाधता है तथा घास वगेरह डाल रखा है। वादी को उक्त भूमि से सन् 1966 के पश्चात कभी भी बेदखल नही किया गया अतः वादी प्रतिकुल कब्जे के आधार पर भी वादग्रस्त भूमि का स्वामी है। प्रतिवादी, वादी की वैध पट्टे सुदा भूमि से बेदखल करने पर उतारु है अतः वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा परित कराई जावे। अन्त मे

सहायक कलक्टर एवं
खण्ड अधिकारी, माण्डल

प्रार्थना की गई कि हाल आराजी सं. 914 रकबा 00.08 बिस्वा की किस्म पूर्वानुसार आबादी दर्ज कराई जावे। तथा वादी को इस आराजी से बेदखल नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कराई जावे।

1. वादी का वादपत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किए गए। प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार ने दिंनाक 12.02.2007 को जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दौराने विचारण वाद वादी का निधन हो जाने पर दिनांक 21.05.2007 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता पेष किया गया जो दिनांक 30.07.2007 को स्वीकार किया जाकर मृतक वादी के विधिक वारिसान के नाम अभिलेख पर लिए जाने का आदेश पारित किया गया। तद्नुसार दिनांक 17.09.2007 को सशोधित टाईटल पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिंनाक 10.12.2007 को निम्न तनकियात कायम की गई :—

1. आया वादीगण के पिता व पति जय किशन जाट को ग्राम पंचायत जोरावरपुरा द्वारा दिनांक 01.12.1966 को साबिक आराजी संख्या 413 मी. किस्म आबादी जिसके हाल आराजी नं. 914 रकबा 00.08 बिस्वा कायम किए गए, विधिवत् आवंटन होकर पट्टा जारी किया गया ?

—बजिम्मे वादीगण

2. आया साबिक आराजी संख्या 413 मी. किस्म आबादी के दौराने भू प्रबन्ध नवीन आराजी संख्या 914 रकबा 00.08 बिस्वा कायम करते हुए उसकी किस्म नाडा अंकित करते हुए उसे बिलानाम राज्य सरकार अंकन कर दिया गया जिसे वादीगण दुरुस्त करा पुनः किस्म आबादी अंकन कराने का अधिकारी है ?

—बजिम्मे वादीगण

3. आया वादीगण को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वादग्रस्त आराजी मे स्वामित्वता के अधिकार उत्पन्न हो गए है ?

—बजिम्मे वादीगण

4. आया वादीगण वादपत्र की चरण संख्या 5 मे वर्णित आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है ?

— बजिम्मे वादीगण

5. अनुतोष ?

2. वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य मे वादी संख्या 1 छीतर जाट का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रर्दश 01 से प्रर्दश 12 तक के दस्तावेजो को प्रदर्शित कराया। दिनांक 11.12.2015 को वादीगण की ओर से अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करना जाहिर करने पर साक्ष्य वादीगण बन्द की गई तथा सभी तनकीयात वादीगण के जिम्मे होने से पत्रावली बहस अन्तिम हेतु नियत की गई। दिनांक 16.02.2016 को उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

3. मैने सुयोग्य अधिवक्ता वादीगण की बहस को ध्यान पूर्वक सुना एवं पत्रावली का भली भाति अवलोकन किया तनकियात अनुसार निर्णय निम्नानुसार है — तनकी नं. 1 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है जिसके तहत ग्राम भावलास की साबिक आराजी सं. 413 मी. जिसके हाल आराजी नं. 914 रकबा 00.08 बिस्वा कायम किए, वादीगण के पूर्वज जयकिशन जाट को विधिवत आवंटित होकर ग्राम पंचायत जोरावरपुरा द्वारा पट्टा जारी किया गया। इस सम्बन्ध मे पत्रावली पर प्रर्दश 1 पट्टा जिसकी फोटो प्रति प्रर्दश 1(ए) पेश

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा

किया गया जो ग्राम पंचायत जोरावरपुरा द्वारा दिनांक 23.02.1967 को जारी किया गया इस पट्टे मे पत्रावली संख्या 06 सवत् 2024 दिनांक 01.12.1966 कायम होना तथा 41 रुपए की रकम जमा होने के इन्द्राज अंकित है। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह बहस की गई कि पट्टे मे अंकित पडौसो के मध्य की भूमि का मिलान हाल नक्सा ट्रेस एवं साबिक नक्सा ट्रेस मे जिस जगह विवादित भूमि स्थित है एवं जहा वादीगण का कब्जा है का मिलान होता है हाल आ. सं. 914 नक्सा ट्रेस प्रर्दश 8 व 9 तथा साबिक नक्सा ट्रेस प्रर्दश 10 मे आबादी भूमि से लगती हुई प्रदर्षित है। प्रर्दश 1 पट्टा का अवलोकन करने से उसके फर्जी व बनावटी होना जाहिर नही होता है यह दस्तावेज 30 वर्श से भी अधिक पुराना होकर साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत उसके सत्य होने की उपधारणा की जा सकती है। प्रतिवादी की ओर से इस तनकी के खण्डन मे कोई साक्ष्य पेश नही की गई अतः उक्त तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती हैं।

4. तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है जिसमे वादीगण को यह साबित कराना है कि साबिक आ. सं. 413 मी. किस्म आबादी के दौराने भू प्रबन्ध नवीन आराजी संख्या 914 रकबा 00.08 बिस्वा कायम करते हुए उसकी किस्म नाडा अंकित कर उसे बिलानाम राज्य सरकार अंकन कर दिया गया जिसे वादीगण दुरुस्त करा पुनः किस्म आबादी अंकन रेकार्ड कराने के अधिकारी है। इस सम्बधं मे वादीगण ने पत्रावली पर मिलान खसरा प्रर्दश 7 पेश किया है जिसे देखने से यह जाहिर आता है कि हाल आ. सं. 914 रकबा 0.08 बिस्वा के पुराने नं. 413 मी होकर उसकी किस्म आबादी अंकित है तथा कॉलम संख्या 23 व 24 मे किस्म बिलानाम नाडा अंकित की गई है तथा इस सम्बन्ध मे किसी प्रकार का कोई आदेश होने का अंकन कॉलम संख्या 26 मे अंकित नही है जबकि भू प्रबन्ध से पूर्व ही यह आराजी जरिये नामान्तरण संख्या 197 प्रर्दश 12 द्वारा अन्य आराजियात के साथ अन्दर हल्का आबादी मे दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया था तद्नुसार सवत् 2020 से 2023 तक की जमाबन्दी मे उक्त नामान्तरण का अंकन करते हुए उसकी किस्म आबादी अंकित है सेटलमेन्ट के पष्चात जारी जमाबन्दीयो मे उक्त भूमि की किस्म नाडा अंकित है। अधिवक्ता वादीगण ने बहस के दौरान यह जाहिर किया कि भू प्रबन्ध अधिकारीयो को भू प्रबन्ध के दौरान बिना सक्षम न्यायालय के आदेषो के राजस्व रेकार्ड के इन्द्राजात को बदलने का कोई अधिकार नही है इस सबंधं मे विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने नजीर आर. आर. डी. 1990 पेज 17 एवं आर. बी. जे. 2006 पेज 719 पेश की जिसमे माननीय राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि भू प्रबन्ध अधिकारीयो को राजस्व अभिलेख की प्रविष्ठियो को बिना किसी सक्षम न्यायालय अथवा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेष के अभाव मे प्रविष्ठियो मे परिर्वतन करने का कोई अधिकार नही है। उक्त दोनो ही न्यायिक दृष्टान्त वादीगण के मामले मे लागू होते है। क्योकि भू प्रबन्ध के दौरान विवादित आराजी की किस्म का परिर्वतन बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशो के भू प्रबन्ध अधिकारियो द्वारा किया जाना प्रर्दश 7 मिलान खसरा को देखने से यह प्रमाणित है ऐसी स्थिति मे भू प्रबन्ध के दौरान की गई उक्त त्रुटि को वादीगण दुरुस्त कराने के अधिकारी है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

5. तनकी संख्या 3 को साबित कराने का भार वादीगण पर है जिसमे वादीगण को यह साबित कराना कि वादीगण वादग्रस्त आराजी पर प्रतिकुल कब्जे के आधार पर भी स्वामित्वता के अधिकार वादीगण ने अर्जित कर लिए है। इस सम्बन्धा मे अधिवक्ता वादीगण ने दौराने बहस अपने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए यह बहस की कि वादग्रस्त आराजी की किस्म आवादी अंकित होने के वाद ग्राम पंचायत जोरावरपुरा द्वारा उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज जयकिशन जाट को विल एवज 41 रुपए विक्रय की जाकर उसका पट्‌टा जय किशन जाट के पक्ष मे जारी किया गया जो प्रर्दश 1 है। तव से ही उक्त भूमि पर वादीगण के पूर्वज जय किशन एवं उनके निधन के पष्चात वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि मे वादीगण के पूर्वज जय किशन जाट ने बाडा बना उसमे अपने मवेशी एवं घास वगेरह रखने के उपयोग उपभोग मे ला रहे थे एवं वर्तमान मे भी वादीगण बाडे के रुप मे उक्त जमीन का उपयोग उपभोग कर रहे है। भू प्रबन्ध के दौरान इस भूमि की किस्म नाडा अंकित हो जाने से प्रथम बार वादीगण के पूर्वज जय किशन जाट को प्रतिवादी द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जो प्रर्दश 11 है। तब वादीगण को उक्त त्रुटि की जानकारी हुई एवं यह दावा प्रस्तुत किया गया। वादीगण को विवादग्रस्त भूमि से बेदखल किए जाने का कोई दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा पेष नही किया गया है। तथा इसके खण्डन मे अन्यं कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नही की गई है। ऐसी स्थिति मे उक्त तनकी वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

6. तनकी संख्या 4 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है जिसमे वादीगण को यह साबित कराना है कि क्या वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। इस सबंधं मे अधिवक्ता वादीगण की बहस है कि विवादित भूमि पूर्व मे आबादी भूमि थी जिससे सक्षम ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए वादीगण के पूर्वज जय किशन जाट को विक्रय कर उसका पट्‌टा जारी किया गया था जो प्रर्दश 1 है। तब से ही वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा है किन्तु भू प्रबन्ध के दौरान विवादग्रस्त भूमि की अनाधिकार किस्म परिर्वतन कर देनै से प्रतिवादी द्वारा वादीगण पर 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही कर बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है ऐसी स्थिति मे वादीगण के पक्ष मे स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कराया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध मे वादी संख्या 1 का शपथ पत्र पेश हुआ है तथा दस्तावेजी साक्ष्य जो प्रकरण मे पेश की गई है जिसका कोई खण्डन प्रतिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा नही किया गया है अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

7. उपरोक्त विवेचना अनुसार वादीगण अपने जिम्मे समस्त तनकीयात साबित कराने मे सफल रहे है अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। अतःएवः

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

आदेश

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भावलास तहसील माण्डल मे स्थित हाल आराजी संख्या 914 रकबा 00.08 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाडा की किस्म को परिर्वतित कर किस्म गैर मुमकिन आबादी राजस्व रेकार्ड मे अंकित करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण को ग्राम भावलास की हाल आराजी संख्या 914 रकबा 00.08 बिस्वा से बेदखल नही करे तथा बेदखली की कार्यवाही नही करे। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार हो दफ्तर दाखिल की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

निर्णय आज दिनांक 18.02.2016 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

डिक्री

(आ0 20 नियम 6 / आ0डी0)

बाअदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

[illegible] श्री ...देवी सिंह रावत............ (आर0ए0एस0)

अभियान प्रकरण

श्री रामकिशन पुत्र रामा जाट निवासी भावलास, तहसील माण्डल ...मृतक के वारसान -

1. ...[illegible] पुत्र रामकिशन जाट निवासी भावलास, तहसील माण्डल...

2. ...[illegible] पुत्र रामकिशन जाट निवासी भावलास, तहसील माण्डल...

3. ...[illegible] पुत्र रामकिशन जाट निवासी भावलास, तहसील माण्डल...

4. श्रीमती देवी पत्नी रामकिशन जाट निवासी भावलास, तहसील माण्डल वादी

बनाम

श्री ...राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, तहसील माण्डल...

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा ..88, 188.. मुकदमा नं0 / वर्ष ..19/06.. निर्णय दिनांक ..18.2.2016

यह मुकदमा अज अदालत वास्ते इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री..प्रदीप कुमार व्यास... मनजानिब मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भावलास तहसील माण्डल में स्थित हाल आराजी संख्या 914 रकबा 00.08 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बाड़ा की किस्म परिवर्तित कर किस्म गैर मुमकिन आबादी राजस्व रेकार्ड में अंकित करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण को ग्राम भावलास की हाल आराजी संख्या 914 रकबा 00.08 बिस्वा से बेदखल नहीं करे तथा बेदखली की कार्यवाही नहीं करे।

आज तारीख .....18.2.16...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
पीठासीन अधिकारी भीलवाड़ा